A dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits has been established in the State.

ULBs -
As per GO dated 27th June 2016 attached at page no. 2, conflict resolution mechanism for land and construction permits has been established in the state.

Industrial Development Authorities
UPSIDC -
As per GO dated 23rd June 2016 attached at Page no. 4, conflict resolution mechanism has been implemented in Noida.

Greater Noida -
As per GO dated 23rd June 2016 conflict resolution mechanism has been implemented in Greater Noida. Refer URL:
http://203.193.159.204:8080/gnida/EODB/ooConflict.pdf

Noida -
As per GO dated 23rd June 2016 attached at Page no. 5, conflict resolution mechanism has been implemented in Noida.

संख्या–898 / 8–3–16–36विविध / 16

प्रेषक,

शिव जनम चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4 नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 27 जून, 2016

विषयः प्रदेश में Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश में Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बंधित) को पूर्ण करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 09.05.2016 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2016 को आयोजित बैठक में प्रदेश के समस्त प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया है। बैठक में डी0आई0पी0पी0 के बिन्दु संख्या–75 'Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits' पर यह सहमति हुई है कि प्राधिकरण स्तर पर इस हेतु सम्बंधित विकास प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें सम्बंधित उपजिलाधिकारी, सम्बंधित अभिकरण के अभियंत्रण एवं नियोजन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होंगे।

2– भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business के दृष्टिगत की गयी अपेक्षा के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits' के संदर्भ में विकास प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट समिति का गठन करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुये, शासनादेश की प्रतियां समस्त सम्बंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं॰ 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
फैक्स : ;(0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com.
ई.मेल : feedback@upsidcltd.com

संदर्भ संख्या 82-89 एसआईडीसी/परि0– Ease of doing Business दिनाक : 29/6/16

कार्यालय आदेश

भारत सरकार की Ease of doing business नीति के अन्तर्गत Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits के संदर्भ में समस्याओं के निवारण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्नवत् हैं:–

1.	महाप्रबन्धक (विधि)	अध्यक्ष
2.	मुख्यालय औ0क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारी	सदस्य
3.	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक	सदस्य
4.	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता	सदस्य

उपरोक्त समिति समस्या का अध्ययन करके अपनी संस्तुतियॉ मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक को 15 दिन में प्रेषित करेगी।

उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक के आदेश के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(एम0एल0सोनकर)
अधिशासी अभियन्ता(मुख्यालय)

पत्रांक/ एसआईडीसी– दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1.प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।
2.मुख्य अभियन्ता उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।
3.क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।
4अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय कानपुर।

(एम0एल0सोनकर)
अधिशासी अभियन्ता(मुख्यालय)

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर - 201301

पत्र संख्याः नौएडा/औद्योगिक/2016/1929
दिनाँकः- 21/06/2016

कार्यालय आदेश

नौएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में उनके आवंटी अथवा प्रस्तावित क्रेताओं की ओर से विभिन्न प्रकार की समस्याये प्रस्तुत की जा रही है। समस्याओं का निराकरण करने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों की कमेटी गठित की जाती है। कमेटी व्यक्तिगत रूप से औद्योगिक भूखण्डों के प्राधिकरण द्वारा लीज होल्डर के साथ मिटिंग कर समस्याओं का निराकरण करेगाः-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी0)
2. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0)
3. वित्त नियन्त्रक
4. मुख्य अभियन्ता (जल एवं विद्युत)
5. मुख्य अभियन्ता (सिविलि)
6. मुख्य वास्तुविद नियोजक
7. विशेष कार्याधिकारी (औ0)

(रमा रमण)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी